

ब नारायण  
नो ड्रम  
न

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम बांसेडा तहसील फुलियाकलां  
प्रकरण संख्या - 75/2020  
पीठासीन अधिकारी - राजकेश गीना (आर.ए.एस.)

1 मुलाडा पत्नि रूपलाल कुमावत उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज. (प्राथी)

- बनाम
- 1 हीरा पिता बख्तावर कुमावत उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज
  - 2 रोडू पिता भूरा कुमावत उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज
  - 3 लादु पिता रामचन्द्र कुमावत उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज
  - 4 मथरा पत्नि रतनलाल कुमावत उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज
  - 5 नाथु पिता लाला कुमावत उम्र वयस्क निवासी बडला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज (अप्राधीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री राजेश वर्मा  
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 04.10.2021


प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 द्वारा न्यायालय में दिनांक 04.09.2020 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बडला पटवार गण्डल बडला भू.अ.नि. बांसेडा तहसील फुलियाकलां में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 356 के आ.न. 540, 540, 550, 555 रकबा 1.75 हैक्टर, खतौनी संख्या 355 के आ.न. 552, 553, 554 रकबा 1.00 हैक्टर, भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीयण के मध्य आराजीयात के सीमा विह्न नहीं होने से आगे दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 04.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीयणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीयणों को जारी नोटिस वाद तागील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीयण नियत सुनवाई दिनांक 01.04.2021 पर वादो अपना पक्ष रखने, हाजिर नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम बांसेडा दिनांक 04.10.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीयण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बडला पटवार गण्डल बडला भू.अ.नि. बांसेडा तहसील फुलियाकलां में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 356 के आ.न. 548, 549, 550, 555 रकबा 1.75 हैक्टर, खतौनी संख्या 355 के आ.न. 552, 553, 554 रकबा 1.00 हैक्टर, भूमि की पत्थरगढ़ी बरामालात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक बांसेडा को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उमयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकलां को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राजकेश गीना)

उपखण्ड अधिकारी,  
फुलियाकलां, जिला भीलवाड़ा

